कार्यालय जनपद न्यायाधीश, देवरिया।
सार्वजनिक नीलामी सूचना

सेशन हाउस, देवरिया के प्रांगण में अवस्थित पुराना निष्प्रयोज्य गार्डरूम जिसका मूल्यांकन अंकेन रू0 25000/–(पच्चीस हजार रूपये) लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड देवरिया द्वारा किया गया है के ध्वस्तीकरण व मलवा हटाये जाने हेतु तथा पुराने बाउण्ड्री वाल के ईंट का मलवा जिसका मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड देवरिया द्वारा मू0 65000/–(पैंसठ हजार रूपये) किया गया है, का मलवा हटाने हेतु सार्वजनिक नीलामी दिनांक 31.10.2023 को दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार कक्ष में अपरान्ह 04.30 बजे नीलामी समिति जनपद न्यायालय, देवरिया की उपस्थिति में की जायेगी।

उक्त नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म नीलाम किए जाने हेतु पुराना गार्ड रूम भवन एवं पुराने बाउण्ड्रीवाल के ईंटों के मलवा का निरीक्षण निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे सायं तक केंद्रीय नजारत जजी, देवरिया से सम्पर्क स्थापित कर, कर सकते हैं। नीलामी की नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

01. प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
02. नीलामी की बोली बोलने से एक दिन पूर्व तक उपरोक्त भवन एवं मलवा का भली भांति पहचान व निरीक्षण कर लें।
03. नीलामी में भाग लेने हेतु उपरोक्त उल्लिखित मूल्यांकन की धनराशि का 20 % (निकटतम पूर्णांक तक) जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा।
04. सभी बोलीदाताओं को सभी नियमों एवं शर्तो के पालन का घोषणा पत्र देना होगा।
05. किसी भी उच्चतम नीलामी बोली को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का होगा।
06. यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना/दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो इसके सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस प्रशासन को देना होगा तथा ऐसी समस्त संपत्तियों पर अधिकार न्याय विभाग का होगा।
07 भवन के तोड़ने का कार्य प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे सायं तक ही किया जा सकेगा।
08 भवन तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता/फर्म/व्यक्ति की होगी।
09 भवन को तोड़ते समय व मलवा हटाते समय सम्पूर्ण परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
10 संबन्धित बोलीदाता/फर्म/व्यक्ति द्वारा ध्वस्त किये गए भवन के मलवे को समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर से हटाना होगा।
11 किसी भी उच्चतम नीलामी बोली को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
12 नीलामी बोली अनुमोदित किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करना होगा।
13 अपूर्ण एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण नीलामी की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
14 अन्य कोई भी शर्ते जो नीलामी से पूर्व समिति द्वारा घोषित की जाती है, उसे मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

20/10/23

दिनांक–20.10.2023

(इन्दिरा सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01/अध्यक्ष,
नीलामी समिति, जजी देवरिया।